

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002
—00—
// आदेश //

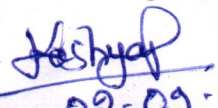
नवा रायपुर, दिनांक 02.09.2026

File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE :: राज्य शासन, एतद्वारा, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी" दिनांक 04.09.2026 (शुक्रवार) के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु "शुष्क दिवस" घोषित करता है। "शुष्क दिवस" के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये :-

1. प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे- सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1(ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 2क, एफ.एल. 3, 3क, 3ख, 3ग, 3घ, 3ङ, एफ.एल. 4, 4क, एफ.एल. 5, 5(क), एफ.एल. 6, 7, 8, 9, 9(क) एवं सी.एस.1, सी.एस1-ख, सी.एस1-खख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जावे।
2. उपरोक्तानुसार घोषित "शुष्क दिवस" में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।
3. गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टॉरेंटों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित "शुष्क दिवस" में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।
4. उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे।
5. समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जावे, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरुद्ध अपराध कायम किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


02-09-26
(के0 एल0 कश्यप)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

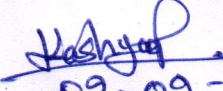
....2/

File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE

नवा रायपुर, दिनांक 02.09.2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग।
 2. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
 3. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
 4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
 6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
 7. पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, रायपुर नगरीय, रायपुर।
 8. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
 9. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 10. उपायुक्त आबकारी, समस्त संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर।
 11. समस्त जिला प्रभारी, आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


02-09-26

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग